



समक्षा :- अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल

मनोरमा बाई पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नि दम्भू गूजर  
निवासी सुरेला रंधीर, तहसील बनखेड़ी,  
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

139  
नं. 3789-PR/15

Enquiry

आवेदिका/

पुनरीक्षणक

//बनाम//

1. मुलुआ आत्मज धन्नू गूजर  
2. धर्मदास आत्मज धन्नू गूजर  
3. भुरिया बाई पुत्री धन्नू गूजर  
4. हीराबाई पुत्री माधो गूजर  
5. नूना बाई पुत्री माधो गूजर  
6. नन्हैया बाई पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नि सम्मर सिंह गूजर  
7. बड़ैया बाई पुत्री स्व. पन्नालाल पत्नि कम्पोडर गूजर  
अनावेदक क. 1 से 7 सभी निवासी ग्राम सुरेला रंधीर,  
तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)  
8. जगदीश आत्मज प्रहलाद गूजर  
9. मनोहर आत्मज प्रहलाद गूजर  
10. बैनीसिंह आत्मज प्रहलाद गूजर  
अनावेदक क. 7 से 10 सभी निवासी ग्राम रिछेड़ा,  
तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सहिता ।

आवेदिका की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

उक्त पुनरीक्षण याचिका निम्न न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण कमांक 34अ/27 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31.07.15 से छुट्ठा एवं प्रभावित होकर निम्न आधारों पर न्याय प्राप्त हेतु माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।



प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद के समक्ष एक बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया जिसका कि रा.प्र.क. 34अ/27 वर्ष 2014-15 का दर्ज किया जाकर स्थित मौजा सुरेला रंधीर की भूमि खसरा नंबर 187, रकबा 1.72 एकड़ एवं ख.नं. 187, रकबा 5.81, ख.नं. 414, रकबा 1.30, ख.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3789-PBR/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p> <p> A32</p>	<p> अध्यक्ष</p>